RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 188/2025
CNR: RJHC010123782025 | URN: CRLR / 420U / 2025

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Kuldeep Mishra S/o Rajendra Kumar, Aged About 40 Years, R/o Purani Railway Station, Nawa, Dist. Nagaur, Raj.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Hema Ram S/o Moola Ram, R/o Hari Om Colony, Nawa, Dist. Nagaur, Raj.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Shree Kant Verma
Mr. Sarika Bishnoi

For Respondent(s) : Mr. Narendra Gehlot, Dy.G.A.
Mr. Abhishek Mehta
Mr. Dilip Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

17/11/2026

1. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने मंदिर में रखे दानपात्र में दीपक जलाकर जानबूझकर जलती हुई तीली को मंदिर में रखे दानपात्र में डाल दी, जिसके परिणामस्वरूप दानपात्र में रखे रुपये जल गए। विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 436 भारतीय दंड संहिता (गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करना) के आरोप विरचित किए, जो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

(Uploaded on 25/11/2026 at 05:10:09 PM)
(Downloaded on 25/11/2026 at 06:19:09 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

3. इस न्यायालय द्वारा धारा 436 भारतीय दंड संहिता (गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करना) का गहनता एवं सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया एवं विचार किया गया। उपरोक्त के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि किसी निवास अथवा भवन में रिष्टि कारित की जाए; जो भवन सामान्य तौर पर पूजा अर्चना के कार्य में लिया जाता है अथवा मनुष्यों के निवास के रूप में काम में लिया जाता है या ऐसा स्थान जहां संपत्ति को अभिगृहीत किए जाने के प्रयोजन से काम में लिया जाता है को आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर ऐसे भवन को नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है तो रिष्टि के इस प्रकार के अपराध को कारित करने वाले को आजन्म कारावास अथवा ऐसा कारवास, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के साथ दंड से दंडित किया जाएगा। यह प्रकट होता है कि धारा 436 भारतीय दंड संहिता (गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करना) के आरोप को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि भवन को आग या विस्फोट पदार्थ के उपयोग से नष्ट करना या नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से नाष के लिए रिष्टि कारित की जाए।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

4. आरोप–पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कहीं यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा सामान्य तौर पर पूजा अर्चना में काम में लिया जाने वाले भवन को नष्ट करने हेतू रिष्टि कारित की है, बल्कि अभियोजन का यह स्पष्ट आरोप है कि अभियुक्त के द्वारा पूजा स्थान पर रखे हुए एक दानपात्र में माचिस की तीली डाल दी। लगाए गए आरोप से प्रथमदृष्ट्या यह उपधारणा ली जा सकती है कि अभियुक्त का आशय दानपात्र में रखी गई मुद्रा को

(Uploaded on 25/11/2026 at 05:10:09 PM)
(Downloaded on 25/11/2026 at 06:19:09 PM)

जलाना था, लेकिन इन परिस्थितियों में यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त का आशय उस उपासना स्थल को नुकसान पहुंचाने का रहा हो। जब अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप विधि के किसी विशिष्ट प्रावधान को आकर्षित करता है तो अन्य वैकल्पिक या गुरुत्तर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में धारा 435 भारतीय दंड संहिता का उल्लेख समीचीन होगा।

5. धारा 435 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जोकोई अग्नि या किसी विस्फोट पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, जिसका आशय यह है, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी संपत्ति को 100/– रुपये या उससे उधिक का (जहां संपत्ति कृषि उपज) दस रुपये या उससे अधिक का नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

6. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि जो कोई 100/– रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के लिए आग्नेय पदार्थ आदि के प्रयोग से रिष्टि कारित करेगा वह सात वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 435 भारतीय दंड संहिता का आरोप अनन्य रूप से मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिए न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। जब अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी के तथ्य प्रत्य क्ष रूप से धारा 435 भारतीय दंड संहिता के आरोप को आकर्षित करते हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 436 भारतीय दंड संहिता का आरोप लगाया जाना कतिपय उचित नहीं होगा। यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

(Uploaded on 25/11/2026 at 05:10:09 PM)
(Downloaded on 25/11/2026 at 06:19:09 PM)

6. एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपास्त किया जाता है, चूंकि इस न्यायालय का यह मानना है कि धारा 435 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित किए जाने योग्य है, जो कि अनन्य रूप से मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आलोक में विद्वान सत्र न्यायाधीश, डीडवाना कुचामन को यह निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रतिप्रेषित करे। पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिनुसार आगामी कार्रवाई संपन्न कराए। याचिका एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है।

7. यदि कोई विधिक प्रार्थना–पत्र संलग्न हो तो वह भी निस्तारित किए जाते हैं।

(FARJAND ALI),J

Crt_20 (1763)
D-A/60
Manisha Kumari

(Uploaded on 25/11/2026 at 05:10:09 PM)
(Downloaded on 25/11/2026 at 06:19:09 PM)